10-9-15 F-OF

5 रु. COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

247

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर, म0प्र0

रा0अपी0प्र0क्रं0 ~~अपील~~ निगरानी 871-I-15

निगरानी 871-I-15

1. रामेश्वर पिता पन्ना लाल चौरसिया नि0 मोहन्द्रा, तह0–सिमरिया, जिला–पन्ना म0प्र0।

2. भूषण पिता बृन्दावन चौरसिया नि0 मोहन्द्रा तह0–सिमरिया, जिला–पन्ना म0प्र0————————————आवेदकगण

बनाम

1. श्री शालिगराम पिता श्री हल्के चौरसिया
2. श्री रामेश्वरी पिता श्री रामसेवक गुप्ता
3. श्री सुखदेव पिता श्री रामसेवक गुप्ता
4. श्री दीपक गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता
5. श्री केदारनाथ गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता
6. श्री कृष्णकुमार गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता
7. श्रीमति लक्ष्मी गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता
8. कुं0 पूनम गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता

सभी नि0 मोहन्द्रा तह0–सिमरिया, जिला–पन्ना म0प्र0————————————अनावेदकगण

प्रस्तुत कर्ता अभि0 शर्मा द्वारा दि0 24-4-15 को

24-4-15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

अपील विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के अपी0प्र0क्रं0 307/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।

24-4-15

मान्यवर,

आवेदकगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना करते है कि :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि उत्तरार्थी/आवेदक शालिगराम पिता हल्कू चौरसिया नि0 मोहन्द्रा तह0–सिमरिया/पवई, के द्वारा म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की धारा 250 के अंतर्गत ग्राम मोहन्द्रा की आ0नं0 2452/1क, 2452/1ख/2 रकवा 0.006, 0.141 हैक0 कुलकिता 2 कुल रकवा 0.147 हैक0 आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक नें दिनांक 11–01–2013 को सीमांकन कराया था आ0नं0 2452/1ख/2 रकवा 0.141 हैक0 अंश रकवा 10×15 कडी पर अनावेदक द्वारा पान के डिब्बे रख कर जबरन कब्जा किया गया अनावेदकगण/अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 12–01–2013 को सीमांकन के पत्थर उखाड कर फैंक दिये अतः

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 871–एक/2015 जिला –पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.1.17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क0 307/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.4.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोहन्द्रा तहसील पवई की आराजी नंबर 2452/1क,2452/1ख/2 रकवा कमशः 0.006 एवं 0.141 हैक्टेयर कुल किता 2 रकवा 0.147 है0 की भूमि आवेदक शालिगराम (इस न्यायालय में अनावेदक) भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है जिसका सीमांकन कराकर संहिता की धारा 250 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आराजी नंबर 2452/1ख/2 रकवा 0.141 है0 अंश रकवा 10x15 कडी पर अनावेदक (इस न्यायालय में आवेदक) द्वारा पान के डिब्बे रखकर जबरन कब्जाकिया गया है जिसे हटवाकर कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसील सिमरिया द्वारा प्रकरण कमांक पंजीबद्व कर रामेश्वर आदि को तलब किया गया। अनावेदकगण द्वारा अपने जबाव में बताया कि उनका कब्जा 1996 से लगातार चला आ रहा है जिस पर ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं की	

है। तहसीलदार सिमरिया द्वारा प्रकरण में अनावेदकगण का कब्जा पाते हुये कब्जा हटाने का आदेश दिनांक 29.3.14 को पारित किया जिससे परिवेदित होकर आवेदक रामेश्वर चौरसिया आदि ने अनुविभागीय अधिकारी पवई जिला पन्ना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा दिनांक 27.5.2014 को आदेश पारित रामेश्वर चौरसिया आदि की अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी पवई के आदेश दिनांक 27.5.2014 से दुखित होकर रामेश्वर चौरसिया द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की। आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.4.15 द्वारा आवेदक की अपील निराधार होने से निरस्त की गई जिससे से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि उपरोक्त आराजी नंबर आवेदक के स्वामित्व की भूमि है। अनावेदक ने दिनांक 11.1.13 को सीमांकन कराया था । आराजी नंबर 2452/1ख/2 रकवा 0.141 है0 अंश रकवा 10x15 कडी पर अनावेदक द्वारा जबरन कब्जा कर पान के डिब्बे रख लिये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि दिनांक 12.1.13 को सीमांकन के दौरान लगाये गये पत्थर उखाड कर फेंक दिये गये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि सीमांकन के दौरान आवेदकगण को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है और न ही सरहदी कृषकों को सूचना दी गई है, बिना वैधानिक प्रकिया

के सीमांकन किया गया है। आवेदक के भाई अशोक पिता पन्नालाल चौरसिया को दिनांक 3.11.96 को ग्राम पंचायत मोहन्द्रा द्वारा प्रस्ताव कमांक सी दिनांक 30.6.96 द्वारा अधिकार पत्र प्रदान किया गया था अधिकार पत्र में आराजी नंबर 2409 मोहन्द्रा की बस स्टैण्ड की आवादी भूमि 6X6 वर्ग फुट का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। अपने तर्क में यह भी कहा है कि रामेश्वरी गेंडा की भूमि के पश्चिम में अनावेदक शालिगराम की कोई भूमि नहीं है तथा आवादी भूमि सुरक्षित होने के पश्चात् आवादी के भू—खण्ड के वितरण का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है नक्शे में संदेहस्पद स्थिति के अनुसार नाप की गई है जो कुंआ को मानकर नाप किया गया है जबकि भूमि की नाप मूल चौहद्दी से होना चाहिये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण का आज तर्क सन् 1996 से कब्जा चला आ रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा कभी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है ऐसी स्थिति में अनावेदक कमांक—1 का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि उपरोक्त निर्णय पारित करने के पूर्व विवादित स्थल पर स्वयं जाकर स्थल निरीक्षण करना चाहिये था क्यों हिक जहां विवाद ऐसी भूमि से संबंधित हो जिसके चारों ओर मकान बने हैं तथा सामने शासकीय रास्ता लगा हुआ है और कोई भी कृर्षि भूमि नहीं है उसका भौतिक सत्यापन अवश्य़ किया जाना चाहिये तथा सरहद्दी भूमिस्वामी की नाप की सीमाएं जहां स्पष्ट अंकित न हों एवं स्थाई मुस्तकिल कोई सीमां चिन्ह नाप हेतु उपलब्ध न हो वहां पर

अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं मौके पर जा कर स्थल निरीक्षण करना चाहिये था जो नहीं किया गया है क्यों कि बहर / कुंआ को स्थई मुस्तकिल सीमा चिन्ह मान कर नाप करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण किये बगैर आदेश पारित करनें में महान कानूनी भूल की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि न्यायालय आयुक्त सागर द्वारा अनावेदकगण 2 लगायत 8 को प्रकरण में पक्षकार भी बनाया पक्षकार बनाये जाने के फलस्वरूप अपनें आदेश को पारित करन में आदेश करते समय इन पक्षकारों की प्रकरण में क्या उपयोगिता थी इनका प्रकरण में क्या हित था, इनकी भी विवेचना न करते हुये दिनांक 13.4.15 को आदेश पारित करने में महान कानूनी भूल की है ऐसा आदेश अपने आप में निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जावे।

4— अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि ग्राम पंचायत को सरकारी भूमि के उपयोग की अनुमति की अनुज्ञप्ति एक माह से अधिक के लिये प्रदान करने की अधिकारिता नहीं है। आवेदकगण न तो सरहदी कृषक हैं और न ही शासकीय भूमि पर कब्जेदार हैं । विचारण न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि खसरा नंबर 2492 / 1ख / 2 रकवा 0.141 है0 पर आवेदक रामेश्वर एवं भूषण

के पान के डिब्बे रखे हुये हैं अर्थात अनाधिकृत कब्जा पाया गया। सीमांकन के समय आवेदकगण रामेश्वर आदि उपस्थित थे। अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी की भूमि पर डिब्बे रखकर अतिक्रमण होना पाये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 20.3.14 पारित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार सिमरिया के राजस्व प्रकरण कमांक 05/अ—70/2013—14 का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। जिसमें पाया गया कि विवादित भूमि स्थित ग्राम मोहन्द्रा की आराजी नंबर 2052/1ख/2 रकवा 0.141 है0 शालिगराम पिता हल्के चौरसिया निवासी मोहन्द्रा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदकगण ने ग्राम पंचायत मोहन्द्रा द्वारा आराजी नंबर 2409 पर पान का डब्बा रखने हेतु अनुमति दिये जाने की छायाप्रति पेश की गई हे किन्तु विवादित भूमि आराजी नंबर 2052/1ख/2 है। जिसका अनावेदक शालिगराम आदि द्वारा विधिवत सीमांकन कराकर संहिता की धारा 250 केतहत विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त भूमि का सीमांकन पश्चात कोई आपत्ति न आने से तहसीलदार

सिमरिया ने राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया। तहसीलदार सिमरिया ने अनावेदक शालिगराम आदि द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के निराकरण हेतु चार वाद बिन्दु निर्धारित किया गया जिसको सिद्व करने का भार आवेदक (इस न्यायाालय में अनावेदक) के उपर होता है और अनावेदक शालिगराम आदि चारो वाद बिन्दु को सिद्व करने में सफल रहा। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण रामेश्वर आदि को प्रतिपरीक्षण करने हेतु पूर्ण अवसर दिया गया तथा आवेदक द्वारा कथनों का भी प्रतिपरीक्षण भी किया गया। आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को विधिवत अपना पक्ष समर्थन रखने हेतु अवसर प्रदान किया जाकर विचारण न्यायालय आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालयों द्वारा की गई है, इसलिये इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया। विवादित भूमि आबादी भूमि नहीं है वह खातेदार शालिगराम चौरसिया की स्वतंत्र खाते की भूमि है। वह आराजी नंबर 2452 का बटा नंबर है जो नक्शे में तरमीम है। आवेदक द्वारा उक्त विवादित भूमि का पुनः सीमांकन नहीं कराया गया है, तहसीलदार सिमरिया के पत्र दिनांक 17.10.13 द्वारा मौका स्थल निरीक्षण हेतुटीम गठित की गई, जिसके अनुसार राजस्व निरीक्षक पवई एवं 04 पटवारियों द्वारा दिनांक 23.1.13 को उभयपक्ष को विधिवत सूचना देकर स्थल निरीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया हे । अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर व सीमांकन प्रतिवेदन तथा स्थल

निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदकगण का विवादित भूमि पर पश्चिम दिशा में पान का डब्बा रखकर बेजा कब्जा पाये जाने पर विधिवत संहिता में निहित प्रावधानों के तहत् विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.03.2014 पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी तथा आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा की गई है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायणं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं "**

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सेमरिया का प्र0क0 5/अ—70/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 29.3.14 एवं अनुविभागीय अधिकारी पवई का प्र0क0 24/अपील/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 27.5.14 तथा आयुक्त सागर संभाग सागर का प्रकरण कमांक 307/अ—70/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 13.04.15 में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण स्थिर रखे जाते हैं। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य